हुक्म की तामील में जारी हुए

[illegible] पक्षों उभय पक्ष वकील पक्षकारान उपस्थित। पेश करने अवशेषकी तलबी आवश्यक होने मामले की प्रकृति के मद्देनजर दरकार न होकर पत्रावली पर उपलब्ध तलबी आदेश दिनांक 11/6 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

पत्रावली पेश हुई आज अभियोजक गण उपस्थित कार्य नहीं कर रहे हैं। विपक्ष गण - [illegible] पेश करने अवशेषकी तलबी दिनांक 06.1.2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित। [illegible] अभियोजन द्वारा तामील करने के कारण भी पेश नहीं करना [illegible] अभियोजन पक्ष द्वारा अ० आदेश [illegible] CDR के प्रावधानों के तहत अदालत तलबी [illegible] किया जाता है पत्रावली केवल [illegible] तामील के कारण ही एक बार तलबी [illegible] हो।

6/10/2020
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Date: 2020.01.06 17:46:04 IST
Reason: SelfAttested